

टेलीफोन को पुनः प्रारंभ करने हेतु आवेदन पत्र
(छः महीने से अधिक पुराने मामले)
वाणिज्य फार्म सं.-29

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली

सेवा में

उपमहाप्रबंधक(वा0 एवं प्रशा0) द-I/द-II/प-I/प-II/पूर्व/य0पार/उत्तर/केन्द्रीय

.....
नई दिल्ली।

महोदय,

निम्नलिखित टेलीफोन बिलों का भुगतान न करने के कारण मेरा टेलीफोन नं0
बन्द कर दिया गया था।

टेलीफोन बिलों का विवरण

अब मैंने उपर्युक्त सभी बिलों का भुगतान दिनांक को
कार्यालय के काउंटर पर कर दिया है जिसकी रसीद सं.है।
निम्नलिखित कारणों से मैं बिलों का भुगतान समय पर नहीं कर पाया /पाई।

अतः निवेदन है कि मेरा टेलीफोन पुनः प्रारंभ कर दिया जाए। मैं इसके बिल भुगतान न करने के कारण बन्द होने की तिथि से खुलने की तिथि तक की अवधि के किराए का भुगतान करने के लिए तैयार हूँ।

भवदीय

(नाम

पता जहाँ टेलीफोन लगा हुआ है

.....

कार्यालय प्रयोग के लिए

टेलीफोन नं0श्रेणी

नाम एवं पता

खुलने की तिथि भुगतान न होने के कारण बन्द होने की तिथि

किराया भुगतान करने की तिथि तक सुरक्षा जमा, यदि कोई हो

..... सं0 दिनांक

एसएस सीडीएक्स

पुनः प्रारंभ किए जाने के आदेश जारी करने हेतु वाणिज्य अधिकारी को अग्रेषित। इस संबंध में इस कार्यालय को भी सूचित करें।

निर्देश :-

1. कृपया फैक्स से प्राप्त आवेदन फार्म की फोटो प्रति करवा लें अथवा अच्छी गुणवत्ता के कागज, वरीयतः बॉर्ड पेपर पर टाइप करवा लें तथा आवेदन पत्र को साफ-साफ अक्षरों में भरें।
2. स्थानान्तरण के आवेदन पत्र पर वह व्यक्ति हस्ताक्षर करें जिनके नाम से टेलीफोन खुला हुआ है अथवा यदि टेलीफोन किसी फर्म /कम्पनी इत्यादि के नाम से कार्य कर रहा हो तो प्राधिकृत व्यक्ति हस्ताक्षर करें।
3. आवेदन पत्र उस मंडलीय उपभोक्ता सेवा केन्द्र पर जमा करवाया जाना चाहिए, जिसके क्षेत्राधिकार में टेलीफोन वर्तमान में कार्य कर रहा है।
4. आवेदन पत्र के साथ भुगतान किए गए अंतिम बिल (दो माह से कम अवधि का पुराना बिल) की प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए।